

## उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,प्रधान कार्यालय-लखनऊ ।

परिपत्र-सी - 101 /लेखा/2017-18

दिनांक 28.03.2018

समस्त शाखा प्रबंधक,  
उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,  
उत्तर प्रदेश ।

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र-सी-93 लेखा/2017-18, दिनांक 26.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा दिनांक 31.03.2017 को शाखाओं की लोन आऊटस्टैंडिंग के आधार पर वसूली की धनराशि दिनांक 31.03.2018 तक प्रधान कार्यालय प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रेषित किये गये हैं। आऊटस्टैंडिंग के आधार पर धनराशि प्रेषण के मानक निम्नवत् है:-

क्र०सं०	कुल लोन आऊटस्टैंडिंग	शाखाओं द्वारा प्र०का० को वसूली की धनराशि प्रेषण
1	रु० 1.00 करोड़ से रु० 3.00 करोड़	30 प्रतिशत
2	रु० 3.00 करोड़ से रु० 5.00 करोड़	45 प्रतिशत
3	रु० 5.00 करोड़ से रु० 10.00 करोड़	60 प्रतिशत
4	रु० 10.00 करोड़ से रु० 15.00 करोड़	70 प्रतिशत
5	रु० 15.00 करोड़ से अधिक	75 प्रतिशत

उक्त मानकों के अनुसार वसूली की धनराशि को प्रधान कार्यालय में प्रेषण तिथि दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ाई जाती है। अन्य निर्देश पूर्ववत् रहेंगे।

ह० / -  
(के०पी०सिंह)  
प्रबन्ध निदेशक

### प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डल प्रभारी, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०-लखनऊ।
2. प्रबंधक श्रेणी-2 (IT Cell) उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०-लखनऊ।
3. समस्त योजनाधिकारी, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०-लखनऊ।
4. प्राचार्य, (प्रशिक्षण केन्द्र) उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०केन्द्र-लखनऊ।

ह० / -  
प्रबन्ध निदेशक